

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-ई-18 / एम / डीपीसी / काअ / 09 / दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/996 दिनांक 19.5.09 के द्वारा श्री किशोर सिंह की वर्ष 2001-02 से 2007-08 तक की एपीएआर प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यालय अधीक्षक के पद पर चयन कर एपीएआर प्राप्त होने की शर्त के आधार पर परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया गया था। अब श्री किशोर सिंह की संतोषजनक एपीएआर उपलब्ध होने पर सीलबन्द लिफाफा खोला जाकर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यालय अधीक्षक के पद पर वारिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

श्री किशोर सिंह के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेगे तथा पदोन्नति पर तदनुकूल वे अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे ।

1

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजीव जयपुर

क्रमांक:-ई-18 / एम / डीपीसी / काआ / 09/12.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक:- २४/७/०९

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0
2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
3- आदेश/रक्षित पत्रावली ।
4- प्रभारी अवृत्त अभी भ०।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजीव जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/काअ/09/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/काअ/09/1209 दिनांक 24.7.09 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत श्री किशोर सिंह, कार्यालय सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नति पर निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर में कार्यालय अधीक्षक के रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

श्री किशोर सिंह अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 10.8.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे। इनके द्वारा पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये। सूचना के अभाव में यदि कर्मचारी वर्तमान में किसी कारण वश राज्य सेवा में नहीं हो, निलम्बित हो, लम्बे समय से अवकाश पर हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली हो या मृत्यु हो गई हो तो उनका नाम विलोपित समझा जाये।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-ग/95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि किशोर सिंह के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रुक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकरियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये।

रुक्ष

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर
दिनांक:-28/7/09

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/काअ/09/1216

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- आदेश/रक्षित पत्रावली ।
- 4- प्रभारी, सचिव, क्रम, श्रु.



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर